

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

दीक्षलाल बनाम रीक (कॉरा)

किरम मुकदमा प्रौ. पत्रा 111-128 नं. 02 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील न जारी हुए
6.1.23	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 24.1.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
24.1.23	पत्रावली पेश हुई, विपक्षीगण द्वारा न्यायिक कार्य को रोकने से पत्रावली दिनांक 14.2.23 को पेश हो।	
14.2.23	उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	
14.2.23	पत्रावली पेश हुई, विपक्षीगण द्वारा न्यायिक कार्य को रोकने से पत्रावली दिनांक 28.2.23 को पेश हो।	
28.3.23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शांणु छिये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिली जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इन्हें गिरह एवं तस्फा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुनव से लिखा जाकर शांणु किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम ले। उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 02/23 प्रा०पत्र

1- श्री धीरू लाल s/o श्री मन्दराम जाट निवासी- बड़ी कारखेड़ा तहसील आसीन्द (कोरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री मँक s/o श्री धीरू जाट निवासी - थावोला तहसील माण्डल (कोरा)  
(सुष्मादिता प्रा०पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....थावोला.....पटवार हल्का.....तावडी.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 58, 90.....कुल किता.....02.....रकबा 3.7813 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.थावोला.....पटवार हल्का.....तावडी.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....58, 90.....कुल किता.....02.....रकबा 3.7813 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....मोजा.....को.....1500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा